न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 222/2024/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक 03.09.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रामदयाल पुत्र मोहनलाल जाति बैरवा, निवासी महुआ तहसील मांगरोल, जिला बारां

....अपीलाण्ट

बनाम

1. अनिल पुत्र गंगाराम जाति बैरवा, निवासी महुआ तहसील मांगरोल, जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बांरा राजस्थान

...रेस्पोडेण्टस

उपस्थित : श्री भानू प्रताप सिंह, अभिभाषक –अपीलांट
श्री अजीत जैन, अभिभाषक –रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार – रेस्पो क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 10.06.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा प्रकरण संख्या 09/2020 उनवान अनिल बनाम रामदयाल वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2024 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र.1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, मांगरोल के निर्णय दिनांक 28.02.2014 एवं नामांतरकरण संख्या 812 दिनांक 14.03.2014 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.03.2024 से रेस्पो0 क्र. 1 अनिल पुत्र गंगाराम की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के निर्णय दिनांक 28.02.2014 एवं ग्राम महुआ का नामांतरकरण संख्या 812 दिनांक 14.03.2014 को खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मांगरोल को इस दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में विचाराधीन वाद में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार पुनः नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज करे।

10/06/2025
अति. स. आयुक्त
कोटा

2. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.03.2024 से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, विधि एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भली भांति स्पष्ट था कि उक्त आराजी के खातेदार मथुरा, बिरधा पुत्रगण चून्या की खातेदारी में गत खसरा नम्बर 580 की ही आराजी स्थित है, जिसके केचमेन्ट बाद नवीन खसरा नम्बर 1382 रकबा 1.42 हैक्टयर कायम हुऐ है और खातेदार मथुरा, बिरधा ग्रामीण परिवेश के अनपढ व कम पढे लिखे व्यक्ति ह, और उनके द्वारा निष्पादित वसीयत में टाईपिंग त्रुटिवश खसरा नम्बर 580 के स्थान पर खसरा नम्बर 680 अंकित हो जाने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा पारित किया गया निर्णय व तस्दीक इन्तकाल संख्या 812 दिनांक 14.03.2014 को गलत व गैरकानूनी नहीं माना जा सकता और ना ही उक्त टंकणीय त्रुटि के आधार पर उक्त इन्तकाल को निरस्त किया जा सकता है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी रूप से गलत व गैरकानूनी आधार लेते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 21/2013 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2014 को निरस्त करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी भली भांति स्पष्ट था कि उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के समक्ष प्रस्तुत वाद व प्रकरण संख्या 21/2022 अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट बउनवान अनिल कुमार बनाम इन्द्रा कुमारी दायर किया हुआ है और इन्द्रा कुमारी प्रस्तुत अपील में पक्षकार भी नही है। इसके अतिरिक्त उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के निर्णय दिनांक 28.02.2014 व नामान्तकरण संख्या 812 दिनांक 14.03.2014 के करीब 7 वर्ष बाद सन 2022 में प्रस्तुत किया गया है और केवल पश्चातवृर्ति रूप से वाद दायर कर देने मात्र के आधार पर किसी वाद के अध्यधीन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल के निर्णय व इन्तकाल को निरस्त नही किया जा सकता है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ज्युडिशियल मांइड अप्लाई किये बिना ही गलत व गैरकानूनी एवम आरबीट्रेटरी रूप से अपीलाण्ट के पक्ष में पारित निर्णय व इन्तकाल को निरस्त करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी स्पष्ट था कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा वाद संख्या 127/82 में पारित निर्णय दिनांक–31.08.1987 का 12 वर्ष की विहित मियाद में निष्पादन ही नही हुआ है और उक्त निर्णय व डिक्री शून्य व प्रभावहीन हो गया है और उक्त प्रभावहीन व अनिष्पादनीय निर्णय व डिक्री के आधार पर उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को कोई भी हक अधिकार प्राप्त नही होते हैं और जब रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के उक्त भूमि में कोई हक अधिकार ही निहित होते है, तो उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व उक्त इन्तकाल

10/06/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

को आक्षेपित करने व अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार लोकस स्टेण्डाई ही नही है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्णतया गलत, गैरकानूनी व मनमर्जी रूप से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की अपील स्वीकार करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के यहां रेस्पोडेन्ट क्रम 1 पक्षकार ही नही रहा है और रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को धारा 96 सीपीसी की अनुमति के बिना अधीनस्थ न्यायालय के यहां अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नही है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा धारा 96 सीपीसी का कोई भी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही किया गया और ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 अपील पेश करने हेतु व्यथित पक्षकार माना जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की, जिसके कारण भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय जैर अपील पूर्णतया गलत व गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.07.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत नामांतरकरण संख्या 812 दिनांक 14.03.2014 व निर्णय दिनांक 28.02.2014 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मांगरोल को रिमाण्ड करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा तहसीलदार मांगरोल के निर्णय दिनांक 28.10.2014 एवं इसकी पालना में तस्दीक नामांतरकरण संख्या 812 दिनांक 14.03.2014 के विरूद्ध एक ही अपील पेश की है जबकि कानूनन पृथक–पृथक अपीलें पेश होना चाहिए थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई उचित ध्यान नहीं दिया। नामांतरकरण संख्या 812 से स्पष्ट है कि वह निर्णय दिनांक 28.02.2014 जो धारा 135 (2) के तहत पारित किया गया था कि पालना में खोला गया है, ऐसी स्थिति में धारा 135 (2) के आदेश के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय के श्रवण योग्य एवं क्षेत्राधिकार में नहीं थी। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार मांगरोल को रिमाण्ड करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से यह भी साबित है कि विवादित मामले में उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के यहां नियमित वाद जेरकार है तो ऐसी

10/06/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

स्थिति में नियमित वाद के निर्णय तक नामांतरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार मांगरोल को रिमाण्ड करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2024 निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अपीलांट द्वारा मथरा व बिरधा पुत्र चुन्या जाति चमार की एक फर्जी व कूटरचित वसीयत दिनांक 26.07.2007 करवा ली जबकि खातेदार मथरा पुत्र चुन्या तो सन् 1982 में ही मर गया था जिसकी पुष्टि उसके भाई बिरधा द्वारा उपखण्ड अधिकारी बारां के यहां दावे तथा ग्राम पंचायत भटवाड़ा द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र से होती है। जबकि अपीलांट द्वारा मथरा की मृत्यु दिनांक 12.05.2007 को तथा बिरधा की मृत्यु दिनांक 21.09.2010 को होना बताया है तथा प्रस्तुत दोनों मृत्यु प्रमाण–पत्र को फर्जी तरीके से बनवाया गया है जो कूटरचित दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार अपीलांट ने कूटरचित वसीयत तैयार कर प्रश्नगत नामांतरकरण खुलवा लिया तथा वादग्रस्त आराजी अपने नाम दर्ज करवाकर इन्द्रा कुमारी पत्नी दिलीप कुमार जाति रैगर निवासी राज का कुआं शाहाबाद दरवाजा, बारां के पक्ष में विक्रय पत्र तहरीर करवाकर बेचान कर दी। जिसकी जानकारी होने पर क्रेता इन्द्रा कुमारी, अपीलांट रामदयाल एवं साहबलाल पुत्र लटूरलाल जाति बैरवा निवासी महुआ तहसील मांगरोल के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में वाद एवं प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 21/2022 बउनवान अनिल बैरवा बनाम इन्द्रा कुमारी वगैराह में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2022 को निर्णय पारित किया जाकर अप्रार्थीगण (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में) को वाद निर्णय तक ग्राम महुआ की आराजी खसरा सं01382 रकबा 1.42 है0 भूमि के रिकोर्ड व कब्जे की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है। इस प्रकार रेस्पो0 के द्वारा उक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आराजी के संबंध में नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के यहां विचाराधीन होने से तदनुसार ही उक्त नियमित वाद में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार पुनः नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज करने का निर्णय दिनांक 15.03.2024 पारित किया गया है, जो न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर

10/06/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

7. हमने पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया तथा बहस विद्धान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रकरण तहसीलदार मांगरोल को प्रतिप्रेषित किया गया। वसीयत एवं नामांतरकरण का अवलोकन करने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि होती है। वसीयत में वर्णित आराजी एवं अपीलाधीन नामांतरकरण की आराजी पृथक–पृथक होना प्रकट होता है। साथ ही नियमित वाद जैरकार होने से वाद के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नामांतरकरण दर्ज करने का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत प्रकट होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2024 न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

10/06/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा